प्रशासन का दावा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर की नियमित आपूति, लेकिन बुकिंग बंद

कोटपूतली- बहरोड़, (निसं)। एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अवैध संग्रहण और कालाबाजारी की निगरानी के संबंध में जिले के उपखंड अधिकारियों व जिला रसद अधिकारी ने शुक्रवार को विभिन्न गैस एजेंसियों का सघन निरीक्षण किया।

उपखण्ड अधिकारी बानसूर अनुराग हरित ने बानसूर इंडेन एजेंसी, एसडीएम नारायणपुर दिनेश शर्मा ने नारायणपुर इंडेन गैस एजेंसी, एसडीएम पावटा साधना शर्मा ने पावटा इंडेन गैस एजेंसी, एसडीएम विराटनगर कपिल कुमार ने निर्मल एचपी एजेंसी और एसडीएम बहरोड़ रामकिशोर मीणा ने बहरोड़ इंडेन एजेंसी का तथा जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने कोटपूतली की गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर एलपीजी सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता एवं वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की। निरीक्षण के दौरान एजेंसी गोदामों में सिलेंडरों की स्थिति सही पाई गई। गैस एजेंसी संचालकों द्वारा बताया गया कि बॉटलिंग प्लांट से उनके पास सप्लाई समुचित रूप से प्रतिदिन नियमित रूप से आ रही है तथा उपभोक्ताओं में सप्लाई भी नियमानुसार जारी है। इस दौरान गैस एजेंसी के सॉफ्टवेयर और सिस्टम का भी निरीक्षण किया गया। उपस्थित उपभोक्ताओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। कुछ स्थानों पर सर्वर डाउन होने के कारण बुकिंग की समस्या पाई गई।

अधिकारियों व जिला रसद अधिकारी ने विभिन्न गैस एजेंसियों का सघन निरीक्षण किया।

अलवर में गैस सिलेंडर की किल्लत, एजेंसी के बाहर लगी लंबी लाइन

अलवर(निसं)। अलवर शहर में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों पहले बुकिंग कराने के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी समस्या के चलते मालवीय नगर स्थित मॉडर्न गैस सर्विस एजेंसी के बाहर शुक्रवार को बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई।

■ समस्या के चलते मालवीय नगर स्थित मॉडर्न गैस सर्विस एजेंसी के बाहर शुक्रवार को बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई

एजेंसी के बाहर सूचना बोर्ड लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि 10 मार्च तक बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को ही फिलहाल सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। इस घोषणा के बाद मौके पर मौजूद लोगों में नाराजगी बढ़ गई और कुछ देर के लिए हंगामे जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान कुछ उपभोक्ता पुलिसकर्मियों से भी उलझ गए और उन्होंने सवाल किया कि पुलिस उनकी मदद करने आई है या उन्हें सिलेंडर लेने से रोकने के लिए। बाद में पुलिसकर्मियों ने लोगों को शांत कर समझाइश दी। जिला प्रशासन ने गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उपभोक्ता गैस से संबंधित शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर 0144-2338000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपात स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

शहर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया

भरतपुर (निस)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय भरतपुर पर शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीतियों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला की विधिवत शुरूआत भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष दीप्रज्ज्वलन एवं पुश्ण अर्पित कर की गई। तत्पश्चात् राष्ट्रगीत का गायन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशाला में कुल 7 सत्र आयोजित किये गये। सर्वप्रथम उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम की प्रस्तावना जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने प्रस्तुत की। जिलाध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीनदयाल की विचारधारा अन्त्योदय की योजना को आगे बढाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जन-जन का सहयोग किया। पार्टी का मूल ध्येय बस एक की है कि कोई भी व्यक्ति मूल-भूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहे। प्रथम सत्र में अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र गोयल ने की जबकि वक्ता पूर्व प्रदेश मंत्री भानूप्रताप राजावत रहे। राजावत ने पार्टी के इतिहास और विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जन संघ की स्थापना 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रेल 1980 को हुई थी।

जिला कार्यालय भरतपुर पर शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया।

पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र

चौमूं / कालाडेरा(निसं)। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने क्षेत्र की यातायात समस्याओं और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा हैं। शर्मा ने जयपुर-सीकर राजमार्ग (-52) की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे 6-लेन में क्रमोन्नत करने और चौमूं के राधास्वामी बाग कट पर फ्लाईओवर व सर्विस रोड निर्माण की मांग उठाई है। अपने पत्र में रामलाल शर्मा ने अवगत कराया कि -52 वर्तमान में 4-लेन है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध श्री खाटूश्याम जी मंदिर और श्री सालासर बालाजी मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के कारण इस मार्ग पर श्रद्धालुओं का निरंतर आवागमन रहता है। इसके साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र को राजधानी से जोडने वाला मुख्य मार्ग होने की वजह से यहाँ भारी वाहनों का दबाव अपनी क्षमता से कई गुना अधिक हो चुका है। साथ ही विशेष रूप से चौमूं के राधास्वामी बाग कट की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि यहाँ फ्लाईओवर/पुलिया के अभाव में शहर के भीतर प्रवेश करने वाले वाहनों का भारी दबाव रहता है। इसके कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें जान-माल की हानि हो रही है। साथ ही, वाहनों के अत्यधिक जमाव के कारण स्थानीय निवासियों और यात्रियों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि जयपुर से रींगस तक के राजमार्ग को जनभावनाओं और सुरक्षा की दृष्टि से 6-लेन किया जाए।

■ जयपुर-सीकर राजमार्ग को 6-लेन करने और राधास्वामी बाग पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग की

तेज रफ्तार ट्रोला ने रोड़वेज बस व स्कॉर्पियो को मारी टक्कर

कोटपूतली, (निसं)। जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर होंडा शोरूम के पास गुरुवार को अनियंत्रित एक तेज रफ्तार ट्रोला ने रोडवेज बस व स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रोला सर्विस लाईन के नाले को तोड़ते हुये सर्विस लाईन पर चढ़ गया, जिससे कुछ समय के लिये रास्ता अवरुद्ध हो गया। गनीमत यह रही कि व्यस्त रहने वाली सर्विस लाईन पर उस समय कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा तेज रफ्तार ट्रोला अचानक नियंत्रण खो बैठा और सबसे पहले शाहपुरा डिपो की रोड़वेज बस को टक्कर मार दी। इसके बाद पीछे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद ट्रोला सर्विस लाईन के नाले को तोड़ते हुये सर्विस लाईन पर आ गया। दुर्घटना में रोड़वेज बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गये। दुर्घटना में घायल प्रियंका (25) पत्नी नरेष निवासी माण्डी दिल्ली, कोमल (20) पुत्री सुनील निवासी मूण्डली बानसूर, मुस्कान (03) पुत्री नरेष निवासी माण्डी दिल्ली, अजय (20) पुत्र मुकेष निवासी ईटा उत्तरप्रदेष व विक्रम (35) को स्थानीय बीडीएम जिला अस्पताल ले जाया गया।

खटीक समाज ने एसडीएम को सोंपा ज्ञापन

बौंली -बामनवास,(श्रद्धा ओम त्रिवेदी): देश की राजधानी दिल्ली में होली के दिन हुई तरुण खटीक की हत्या के विरोध में बौंली क्षेत्र के खटीक समाज के लोगों ने उपखंड मुख्यालय पहुंचकर एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन एसडीएम को सोंपा ज्ञापन में अंकित किया गया है कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन 26 वर्षीय तरुण की हत्या मामले में खटीक समाज में ही नहीं पूरे देश के हिंदू समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

खोया पाया

मेरे प्लाट नं- बी-30 वैशाली नगर जयपुर का जे.डी.ए. द्वारा जारी मूल जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान एवं पट्टे के साथ संगलन स्टाम्प पेपर कही गुम हो गये है सूचित करे अनंत सक्सेना मो. 9829439997

Ranthambhore Sevika Hospital Vinayak Nagar, Sawai Madhopur

Notice

This is to inform you that Medical record for the Year 2018-19 is being destroyed. Any person having any objection may kindly contact the hospital within 30 days of the notice.

ByOrder-Rupinder Kaur, ED FOR-PRAKRATIK SOCIETY EXECUTIVE DIRECTOR

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवश्यक सूचना

आवास संख्या 3/513, एस.डब्ल्यू. बी. योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री रमेशचंद एम दुदानी पुत्र श्री मेवलराम एम दुदानी को आवंटन पत्रांक 10027 दिनांक 30.01.1988 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा आवास का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 1120 दिनांक 22.05.2013 को श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री पवन कुमार जैन के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा आवास को रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 12.06.2013 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 09.12.2022 को श्रीमती सोनिया खत्री पत्नि श्री प्रदीप कुमार गुप्ता एवं श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री दीनदयाल गुप्ता को संयुक्त रूप से कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का नाम लीज हस्तांतरण कार्यालय आदेश क्रमांक 2120 दिनांक 01.02.2023 को श्रीमती सोनिया खत्री एवं श्री प्रदीप कुमार गुप्ता के संयुक्त नाम से जारी कर दिया गया। श्रीमती सोनिया खत्री एवं श्री प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से उक्त आवास का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 28.08.2025 को श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन को कर दिया गया। श्री लोकेश कुमार जैन द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 3/513, एस.डब्ल्यू.बी. योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन के पक्ष में आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम पदमा लखानी से बदलकर हर्षा वाधवानी रख लिया भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे पता ए-46 नेहरू नगर शिवाजी मार्ग पानीपेंच जयपुर

I have changed my name from Bharat Rattan Jagga S/o Karam Chand Jagga to BHARAT RATAN JAGGA. In the future, I will be known as Bharat Ratan Jagga R/o 3/54, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan.

I have changed my name from Neha Dusad to Neha Gupta D/o Suresh Chandra Gupta R/o Flat No.-202, Elite Umang, Ganesh Nagar-B, Manyawas near Mansarovar Metro Station, Mansarovar, Jaipur. For all purpose.

I changed my name from Mahesh Kumar Jakhar to Mahesh Jakhar S/o Ram Pal Singh Jakhar R/o Plot No. 6/328, Krishna Marg, Opp. D.P.S. School, Vidyadhar Nagar, Jaipur For all Purpose.

प्रपत्र संख्या 7 देखिए नियम 21

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/Jaipur-I/Trust/2026/1794

चूंकि प्रार्थी श्री BANWARI LAL GUPTA, A-725, HARI MARG, MALVIYA NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शारदा मेथी, मेमोरियल चौरिटेबल ट्रस्ट, A-725, Hari Marg, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है। में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 10-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 14/05/2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 देखिए नियम 21

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/Jaipur-I/Trust/2026/1790

चूंकि प्रार्थी श्री BANWARI LAL GUPTA, A-725, HARI MARG, MALVIYA NAGAR, JAIPUR, ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी, Rajasthan के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है। में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 10-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 14/05/2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम

नम्बर मिलाइए 9587884433

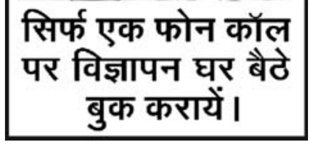

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : 90A/JDA/2025-26/100562 लोक सूचना दिनांक : 13.03.2026

श्री VRB DREAM HOMES PRIVATE LIMITED THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY ABHISHEK KALA पुत्र श्री SURESH CHAND JAIN जाति JAIN निवासी 113/249, AGRAWAL FARM, THADI MARKET, MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302020 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
नरवरिया, साँगानेर (जयपुर)	वीआरबी ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड पुत्र एन ए हिस्सा पूर्ण जाति जाति का उल्लेख नही, मकान संख्या GROUND FLOOR P.NO.04 कॉलोनी नारायण एन्क्लेव क्षेत्र/स्थान मांग्यावास मानसरोवर शहर जयपुर पिन कोड-302020 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	701	0.47	0.47
		713	0.7	0.7
		888/704	0.752	0.752
			कुल	1.922

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर "विज्ञप्ति के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरूद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13-03-2026 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जविप्रा, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

साधारण प्रारूप व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जि. जयपुर

इब्राहिम वगैरह बनाम लतीफन वगैरह प्रार्थना पत्र 204/2014 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

बनामः- रहीशा पुत्री रमजानी पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान फकीर निवासी अजमेरी गेट, जयपुर जिला जयपुर राज0

उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 24/3/26 को 10.00 बजे ए0एम0 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश को सुनवायी और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

अतः आज दि0..12/3/26. को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मोहर अदालत — उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

विवाधको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

आदेश 5 के नियम 1 और 5 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जि. जयपुर बनाम लतीफन वगैरह इब्राहिम वगैरह वाद पत्र सं.254/2014 वाद इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

बनामः-रहीशा पुत्री रमजानी पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान फकीर निवासी अजमेरी गेट, जयपुर जिला जयपुर राज.

उपरोक्त आपके विरूद्ध उपरोक्त के वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 24/3/2026 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ठ करे।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।

यह वाद ता0 12/03/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत — न्यायाधीश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 25/2026

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रामरतन वैद ने पंजीकृत श्री रामकृष्ण आयुर्वेदिक औषधालय परमार्थी ट्रस्ट, झोटवाडा जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 6 जयपुर 1986 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने प्रन्यास के कोषाध्यक्ष श्री रामप्रसाद वैद द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने व प्रन्यासियों की संख्या कम होने तथा प्रन्यास संचालन में बाधा उत्पन्न होने के कारण श्री राजकुमार वैद को प्रन्यासी मनोनीत कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 17.04.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1824

चूंकि प्रार्थी श्री डॉ. शिव गौतम, 1 जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर राजस्थान-302006 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास रिसर्च एजुकेशन एंड सर्विस ट्रस्ट, 1 जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर राजस्थान-302006 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 21.05.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 22/2025

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम अजीत आहूजा पुत्र श्री केवलराम आहूजा जाति आहूजा

विवाद स्थान मृतक मनोहर आहूजा की FD के संबंध में

मृतक मृतक FD के संबंध में की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 20.04.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम मनोहर कुमार आहूजा पुत्र श्री केवलराम आहूजा जाति आहूजा निवासी सी-384, मालवीय नगर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20 माह 04 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 26 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत — आज्ञा से-शरिस्तेदार अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-10, जयपुर महानगर-प्रथम मुख्यालय सांगानेर

आम सूचना मैं हीना कोसर उर्फ अलवीरा ख़ान घोषणा करती हूं की मेरे पति मोहम्मद सोहेल ख़ान द्वारा 20/10/2021 को मुझे तलाक़ देकर घर से निकाल दिया था उक्त तलाक के बाद से ही मैं अपने पीहर ही रह रही हूँ जिसका एक फ़तवा मेने 29/07/2025 को शहर मुफ्ती से ले लिया था जिसके अनुसार मेरा तलाक़ होना बताया गया है मैं तब से ही तलाक याफ़्ता ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ मैं 20/10/2021/ से अपनी ज़िन्दगी आज़ादी से गुज़ार रही हूं मेरा सोहेल खान से कोई रिश्ता बाकी नहीं है वह अपनी ज़िन्दगी में आज़ाद है मैं अपनी ज़िन्दगी में आज़ाद हूँ

मोबाइल नंबर :- 7821995484

Solufine Agritech सॉल्युफाईन एग्रीटेक प्रा.लि.

CIN No.: U20129PN2025PTC237336

गट नंबर 434, सावलज रोड बिरणवाड़ी, ता-तासगांव, जिला-सांगली महाराष्ट्र रजि. ऑफिस: गट नंबर 434, सावलज रोड, बिरणवाड़ी, तालुका-तासगांव, जिला- सांगली, महाराष्ट्र 416312, मो.-18002022412

बिक्री एवं विपणन व्यवस्था

कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं. 2900 (ई) दिनांक 24 अक्टूबर, 2015 और आज तक के FCO संशोधन के अनुपालन में सॉल्युफाईन एग्रीटेक प्रा.लि. द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न निर्देशों के अनुसार नए 100% जल में विलय उर्वरक पेड राजस्थान राज्य में प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. N:P:K:Fe-(00:42:47: 2.8)
2. N:P:K-(00:40:44)
3. N:P:K-(30:10:10)+TE
4. N:P:K-(14:48:00)
5. N:P:K-(05:55:17)+TE
6. N:P:K-(00:09:46)
7. N:P:K-(00:48:47)
8. N:P:K-(00:60:20)
9. N:P:K-(10:54:10)
10. N:P:K-(00:49:32)+TE

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक :- 10832 दिनांक :- 13/03/26

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 174/04(MIG-A), (एरिया 90.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री कैलाश नारायण साबू पुत्र स्व. श्री सूरज नारायण साबू को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1113 दिनांक 28.06.2006 को जारी किया गया। श्री राम प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा के पक्ष मे उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 2807/3499 दिनांक 29.06.2010 के द्वारा किया गया। श्री राम प्रसाद शर्मा के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 30.06.2010 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री राम प्रसाद शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 21.11.2019 के द्वारा 1. श्री पंकज कुमार गोयल पुत्र श्री सुरेश चन्द गोयल एवं 2. श्री सुरेश चन्द गोयल पुत्र श्री गजाधर लाल गोयल को विक्रय कर उप पंजीयक चतुर्थ, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। 1. श्री पंकज कुमार गोयल एवं 2. श्री सुरेश चन्द गोयल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 10.02.2026 के द्वारा श्री मिलाप चन्द जैन पुत्र स्व. श्री नेमी चन्द जैन को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्री मिलाप चन्द जैन पुत्र स्व. श्री नेमी चन्द जैन द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास के रिकॉर्ड मे अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री मिलाप चन्द जैन पुत्र स्व. श्री नेमी चन्द जैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर

क्रमांक-एफ-56()सि.ला.जो./ननिज/2026/2617 दिनांक-10/03/2026

अनापत्ति आमंत्रण सूचना भूखण्ड संख्या 51ए स्कीम न. 2 शिवा कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर क्षेत्रफल 140 वर्गगज का जविप्रा द्वारा दिनांक 17.10.2003 को श्री सुवा लाल कुमावत पुत्र स्व. श्री किशनाराम कुमावत के नाम से पटटा जारी किया गया था। तत्पश्चात् श्री सुवा लाल कुमावत द्वारा जरिये पंजीकृत उपहार पत्र श्री गोपाल लाल कुमावत पुत्र श्री सुवा लाल कुमावत को दिया गया। उक्त पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण श्री गोपाल लाल कुमावत पुत्र श्री सुवा लाल कुमावत के नाम से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम हस्तानान्तरण के संबंध में आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सात दिवस में आपत्ति पेश करें अन्यथा सात दिवस पश्चात् उक्त भूखण्ड में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर

OFFICE OF GRAM PANCHAYAT REWASA, P.S. PALSANA (SIKAR)

No. : Proc./2025-26/25-26 **Date : 13.03.2026**

Notice Inviting Bid

Bids for open Tender of Gram Panchayat REWASA Panchyat Samiti Palsana (Sikar) are invited from bidders for 1 year defective liabilities upto 6:00 P.M. of 23.03.2026. Other particulars of the bid may be Visited on the Procurement Portel http://sppp.raj.nic.in of State at Gram Panchyat REWASA Office in all working Days.

NIB No.:- PSP2526A0139 **UBN No.:- PSP2526WSOB00147**

VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER GRAM PANCHAYAT REWASA PNCHAYAT SAMITI PALSANA

SARPANCH GRAM PANCHAYAT REWASA PNCHAYAT SAMITI PALSANA

INDIAN AIR FORCE AIR FORCE SPORTS CONTROL BOARD RECRUITMENT OF OUTSTANDING SPORTSMEN

APPLICATIONS ARE INVITED FROM OUTSTANDING UNMARRIED MALE SPORTSMEN TO JOIN INDIAN AIR FORCE AS AGNIVEERVAYU (SPORTS) INTAKE 02/2026

DETAILED ADVERTISEMENT AVAILABLE ON HTTPS://AGNIPATHVAYU.CDAC.IN

ONLINE APPLICATIONS ARE TO BE SUBMITTED FROM 1000 Hr ON 23 MARCH 2026 TO 1700 Hr ON 29 MARCH 2026

AT HTTPS://AGNIPATHVAYU.CDAC.IN/CASBSPM

TENTATIVE DATES FOR SELECTION TRIALS AT NEW DELHI FROM 08 APRIL TO 10 APRIL 2026

CBC 10803/11/0032/2526

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू

कमांक / न.पा.चा. / 2026 / 8801 दिनांक :– 06.03.2026

आपत्ति आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि इस नगर पालिका क्षेत्र स्थित विभिन्न भूखण्डों की निम्नानुसार पत्रावली / प्रार्थना पत्र मय साईट प्लान राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के अनुज्ञा एवं आवंटन नियमन 2012 के तहत् निस्तारण हेतु विचाराधीन है :–

क्र सं.	आवेदक का नाम	पिता / पति का नाम	भूखण्ड संख्या एवं योजना / कॉलोनी का नाम	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विषय
1	शंकर लाल बैरवा, राजेश कुमार बैरवा	नाथू राम बैरवा	भूखण्ड संख्या 292 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	92.96	नियमन
2	शंकर लाल बैरवा, राजेश कुमार बैरवा	नाथू राम बैरवा	भूखण्ड संख्या 270 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	139.29	नियमन
3	शंकर लाल बैरवा	नाथू राम बैरवा	भूखण्ड संख्या 266 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	139.29	नियमन
4	शंकर लाल बैरवा	नाथू राम बैरवा	भूखण्ड संख्या 265 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	139.29	नियमन
5	शंकर लाल बैरवा	नाथू राम बैरवा	भूखण्ड संख्या 264 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	204.75	नियमन
6	सुनील कुमार बैरवा	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 486 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
7	सुनील कुमार बैरवा	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 487 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
8	सुनील कुमार बैरवा	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 488 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
9	सुनील कुमार बैरवा	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 489 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
10	दिनेश कुमार बैरवा	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 491 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
11	दिनेश कुमार बैरवा	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 490 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
12	दिनेश कुमार बैरवा	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 492 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
13	दिनेश कुमार बैरवा	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 493 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
14	सतीश पारले	हजारी लाल पारले	भूखण्ड संख्या 291 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	92.96	नियमन
18	सतीश पारले	हजारी लाल पारले	भूखण्ड संख्या 268 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	139.29	नियमन
16	सतीश पारले	हजारी लाल पारले	भूखण्ड संख्या 267 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	139.29	नियमन
17	मीरा देवी	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 485 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
18	मीरा देवी	रामेश्वर बैरवा	भूखण्ड संख्या 484 "स्वर्ण नगरी" ग्राम . चाकसू जिला जयपुर बीड संतोषपुरा तह	83.69	नियमन
19	रामेश्वर बैरवा	दीपचंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 483 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
20	राजेश कुमार बैरवा	नाथू राम बैरवा	भूखण्ड संख्या 269 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	139.29	नियमन
21	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 462 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	84.35	नियमन
22	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 463 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
23	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 464 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
24	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 465 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
25	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 466 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
26	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 469 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
27	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 470 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
28	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 471 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
29	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 472 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
30	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 468 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
31	सीता राम बैरवा	दीपचंद चंद बैरवा	भूखण्ड संख्या 467 "स्वर्ण नगरी" ग्राम बीड संतोषपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	83.69	नियमन
32	अब्दुल कलाम	मुबारीक अली	भूखण्ड संख्या 42 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
33	रूकसाना बेगम	मोहम्मद इखत्यार	भूखण्ड संख्या 36 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
34	अमिता जैन	नरेश जैन	भूखण्ड संख्या 39 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
35	शिप्रा जैन	शैलेश जैन	भूखण्ड संख्या 40 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
36	रेनू अग्रवाल	राकेश कुमार अग्रवाल	भूखण्ड संख्या 53 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
37	रेनू अग्रवाल	राकेश कुमार अग्रवाल	भूखण्ड संख्या 51 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
38	रेनू अग्रवाल	राकेश कुमार अग्रवाल	भूखण्ड संख्या 52 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
39	सिराज खान	मुबारीक	भूखण्ड संख्या 43 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
40	ईन्दु जैन	प्रकाश चन्द जैन	भूखण्ड संख्या 69 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
41	नियाज मोहम्मद	मुबारीक खान	भूखण्ड संख्या 49 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
42	रूकसाना बेगम	मोहम्मद इखत्यार	भूखण्ड संख्या 37"जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
43	ईन्दु जैन	प्रकाश चन्द जैन	भूखण्ड संख्या 71 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
44	ईन्दु जैन	प्रकाश चन्द जैन	भूखण्ड संख्या 70 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
45	अमिता जैन	नरेश जैन	भूखण्ड संख्या 38 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
46	सीमा विजय	अरूण विजय	भूखण्ड संख्या 50 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन
47	नियाज मोहम्मद	मुबारीक खान	भूखण्ड संख्या 47 "जयपुर प्राईड" चाकसू जिला जयपुर	83.61	नियमन

उक्त भूमि के नियमन के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हैं तो वह आपत्ति को लिखित में इस सूचना प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के अंदर–2 इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति अंगीकार नहीं की जावेगी एवं तदानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा।

उक्त सूचना आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुहर द्वारा प्रसारित किया गया।

राज.संवाद / सी / 25 / 22277 — अधिशाषी अधिकारी